

खेतड़ी के बांसियाल में स्कूल भूमि के वर्षों पुराने विवाद का समझाइश से समाधान हुआ

स्कूल की चारदीवारी का रास्ता साफ, भामाशाहों ने विद्यालय के नाम की जमीन

खेतड़ी, (निसं)। खेतड़ी उपखंड के बांसियाल स्थित शहीद महावीर प्रसाद गुर्जर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पीछे स्थित भूमि को लेकर लंबे समय से चला आ रहा विवाद स्कूल प्रशासन की पहल पर सुलझ गया। विवाद का समाधान होने के बाद विद्यालय की चारदीवारी निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। इससे विद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ ही लंबे समय से लंबित निर्माण कार्य भी आगे बढ़ सका है।

विद्यालय के प्रधानाचार्य दीपचंद छावड़ी ने बताया कि विद्यालय के पीछे स्थित भूमि को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। स्कूल स्टाफ के सहयोग और आपसी समझाइश से संबंधित पक्षों के बीच सहमति बनी और मामले का समाधान हो गया। इसके बाद भामाशाह हेमराज और सुरेश खटाणा ने भूमि विद्यालय के नाम कर दी। साथ ही चारदीवारी निर्माण के लिए 21 हजार रुपये का आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया। विद्यालय की चारदीवारी निर्माण के लिए ग्रामीणों और भामाशाहों ने आर्थिक सहयोग देकर सामाजिक सरोकार की मिसाल



विद्यालय स्टाफ ने सहयोग करने वाले भामाशाहों का माल्यार्पण कर सम्मान किया।

पेश की। सहयोग देने वालों में प्रकाश बरवड़ ने 21 हजार रुपये, मदनलाल बोहरा और रघुवीर सिंह कटारिया ने 11-11 हजार रुपये, युवा टीम के अशोक खटाणा, जगत खटाणा और सुरेंद्र खटाणा ने 11 हजार रुपये तथा सुरेंद्र खटाणा और सुरदेश खटाणा का 5,100-5,100 रुपये का

सहयोग दिया।

प्रधानाचार्य दीपचंद छावड़ी ने बताया कि विद्यालय की चारदीवारी निर्माण कार्य शुरू करवाने में पूरनमल कसाना, अशोक खटाणा, छात्रसंघ उपाध्यक्ष जगत खटाणा, समाजसेवी सुरेंद्र खटाणा और सुदेश खटाणा का विशेष योगदान रहा। ग्रामीणों और

भामाशाहों के सामूहिक प्रयासों से विद्यालय में लंबे समय से लंबित चारदीवारी निर्माण कार्य शुरू हो सका। इस अवसर पर प्रधानाचार्य ने कहा कि सरकारी संस्थाओं के विकास और जीर्णोद्धार में भामाशाहों का सहयोग बेहद महत्वपूर्ण है। समाज के सक्षम लोगों को शिक्षा संस्थानों के विकास

चंदन चोरी का एक और आरोपी गिरफ्तार

राजसमंद, (निसं)। कुंवारिया थाना क्षेत्र के वणई आश्रम में हुई चंदन चोरी के मामले में पुलिस ने एक और वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने प्रकरण में चोरी किए गए चंदन को बरामद करने के साथ ही वारदात में

प्रयुक्त कार भी बरामद की है। मामले में दो अन्य आरोपी अभी वांछित है। पुलिस के अनुसार मामले में 9 अक्टूबर को हकीम खां उर्फ छोटू खां और अमजद दोनों निवासी बावड़ी दरवाजा निकुंभ जिला चित्तौड़गढ़ को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 12 अक्टूबर को मोहम्मद शाह रुख निवासी फ कीरों का मोहल्ला, निकुंभ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर प्रकरण में अन्य आरोपियों के नाम सामने आए। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ एवं अनुसंधान के दौरान चोरी किया गया चंदन बरामद किया। साथ ही वारदात में इस्तेमाल की गई कार भी जब्त की गई है। पुलिस के अनुसार मामले में गुलनवाज पुत्र सनवाज खां और इब्राहिम पुत्र मुनीर खां दोनों निवासी बावड़ी दरवाजा निकुंभ जिला चित्तौड़गढ़ अभी वांछित है।

अधिकारी विष्णु कुमार शर्मा द्वारा भिवाड़ी स्थित मैसर्स शिव मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में औषधि अनुज्ञापत्र प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित नहीं पाए गए तथा निरीक्षण पुस्तिका (फॉर्म-35) उपलब्ध नहीं मिली। इसके अतिरिक्त अनुमोदित पंजीकृत फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में दवाओं का विक्रय, नियमित विक्रय बिल जारी नहीं करना, शेड्यूल 1 रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करना तथा क्रय बिल दिनांकवार संचारित नहीं करना जैसी अनियमितताएं सामने आईं।

निरीक्षण के दौरान औषधियों के विक्रय संबंधी विवरण भी मांगने पर प्रस्तुत नहीं किए गए।

फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण का अवसर दिया गया, लेकिन निर्धारित अवधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। इस पर फर्म का औषधि अनुज्ञापत्र 27 अक्टूबर से 10 नवंबर 2026 तक 15 दिन के लिए निलंबित किया गया है। इसी प्रकार औषधि निर्यंत्रण

मेघवाल एवं जिला सचिव एडवोकेट महिपाल सिंह ने कहा कि 9 अक्टूबर को किशनगढ़ के मदनगंज थाना क्षेत्र में वाहन पार्किंग को लेकर हुए विवाद के दौरान ट्राफिक डीएसपी अंजू यादव द्वारा अधिवक्ता बाबूलाल बागरिया को थपड़ मारने एवं उनके साथ अभद्र

व्यवहार किए जाने की घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता न्याय व्यवस्था का अभिन्न अंग है। अधिवक्ता संविधान, कानून और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालयों में संघर्ष करते हैं। किसी अधिवक्ता के साथ इस प्रकार का व्यवहार केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं, बल्कि संपूर्ण अधिवक्ता समुदाय की गरिमा एवं स्वतंत्रता पर हमला है। एआईएल्यू ने राजस्थान सरकार से मांग की है कि अधिवक्ता बाबूलाल बागरिया के साथ हुई घटना की उच्चस्तरीय, पृथक् एवं समयबद्ध जांच करवाई जाए तथा जांच पूरी होने तक संबंधित डीएसपी अंजू यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए।

को प्रमुख आधार बनाया था कि भारत कुमार याचिका दायर करने से पहले और मुकदमे के लंबित रहने के दौरान अपने पिता के साथ दूसरी दुकान में कारोबार कर रहे थे। इसी आधार पर उनकी स्वतंत्र दुकान की आवश्यकता को वास्तविक नहीं माना गया था। जस्टिस फरजंद अली ने इस दृष्टिकोण से असहमति जताते हुए कहा कि पिता के साथ काम करना इस बात का प्रमाण नहीं है कि संबंधित व्यक्ति के पास अपना स्वतंत्र और उपयुक्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी उपलब्ध है। कोई व्यक्ति अपने पिता या भाई के कारोबार में बताया कि कोई अनुभव प्राप्त कर सकता है और साथ ही अपना अलग व्यवसाय स्थापित करने की वास्तविक इच्छा भी रख सकता है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि संबंधित दुकान के संबंध में याचिकाकर्ता का पारिवारिक कारोबार से जुड़ाव और दुकान पर सह-स्वामित्व का दावा, अपने आप में, विवादित दुकान की स्वतंत्र व्यावसायिक आवश्यकता को समाप्त नहीं करता।

खैरथल जिले में दो मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निलंबित

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की शिकायत पर औषधि विभाग ने कार्रवाई की

किशनगढ़ बास, (निसं)। खैरथल जिले में औषधि विभाग ने दो मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस निलंबित किए हैं। इसमें मुंडावर के सपना मेडिकल का लाइसेंस 15 दिन और भिवाड़ी के शिव मेडिकल का 10 दिन के लिए सस्पेंड किया गया है। यह कार्रवाई बिना फार्मासिस्ट दवा बेचने और रिकॉर्ड में गड़बड़ी पर मिलने पर की है। अनुज्ञापत्र प्राधिकारी एवं सहायक औषधि निर्यंत्रक नरोत्तम देव बारोटिया ने यह आदेश जारी किए हैं।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी खैरथल-तिजारा से प्राप्त शिकायत के क्रम में 10 सितंबर को औषधि निर्यंत्रण अधिकारी द्वारा मुंडावर स्थित मैसर्स सपना मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान मूल औषधि अनुज्ञापत्र प्रदर्शित नहीं होना, निरीक्षण पुस्तिका का संधारण नहीं करना, पंजीकृत फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में

यह कार्रवाई बिना फार्मासिस्ट दवा बेचने और रिकॉर्ड में गड़बड़ी पर मिलने पर की है

औषधियों का विक्रय, बिना कैश मेमो बिक्री, शेड्यूल 1 रजिस्टर अद्यतन नहीं होना तथा खरीद बिल व्यवस्थित रूप से संचारित नहीं करना जैसी गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। कुछ औषधियों के विक्रय संबंधी विवरण मांगने पर भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण का अवसर दिया गया, लेकिन निर्धारित अवधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। इस पर फर्म का औषधि अनुज्ञापत्र 27 अक्टूबर से 10 नवंबर 2026 तक 15 दिन के लिए निलंबित किया गया है।

इसी प्रकार औषधि निर्यंत्रण

किशनगढ़ में अधिवक्ता से हुई मारपीट एवं दुर्व्यवहार पर जोधपुर में रोष जताया

जोधपुर, (कासं)। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन (एआईएलयू) जोधपुर ने अजमेर जिले के किशनगढ़ में अधिवक्ता बाबूलाल बागरिया के साथ ट्रैफिक डीएसपी अंजू यादव द्वारा थपड़ मारने एवं दुर्व्यवहार किए जाने की घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। यूनियन ने इस घटना को अधिवक्ता समुदाय के सम्मान, गरिमा एवं सुरक्षा पर गंभीर हमला बताते हुए संबंधित पुलिस अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने तथा मामले की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है। इन मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया।

एआईएलयू के जिलाध्यक्ष एडवोकेट पीआर

ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन जोधपुर ने संबंधित पुलिस अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने तथा मामले की जांच करवाने की मांग की है

मेघवाल एवं जिला सचिव एडवोकेट महिपाल सिंह ने कहा कि 9 अक्टूबर को किशनगढ़ के मदनगंज थाना क्षेत्र में वाहन पार्किंग को लेकर हुए विवाद के दौरान ट्राफिक डीएसपी अंजू यादव द्वारा अधिवक्ता बाबूलाल बागरिया को थपड़ मारने एवं उनके साथ अभद्र

किरायेदारी को लेकर हाईकोर्ट का फैसला, मकान मालिक को राहत दी

जोधपुर, (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने किरायेदारी और दुकान खाली कराने से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने पिता या भाई के साथ पारिवारिक कारोबार में काम कर रहा है, तो केवल इस आधार पर उसकी स्वतंत्र व्यवसाय स्थापित करने की वास्तविक और सद्भाविक आवश्यकता को खारिज नहीं किया जा सकता। इसी के साथ जस्टिस फरजंद अली की एकलपीठ ने भारत कुमार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए क्रियाया अधिकरण, जोधपुर मेट्रो के 27 मई 2011 के आदेश और अपीलीय क्रियाया अधिकरण के 22 मई 2015 के आदेश को निरस्त करने का आदेश दिया। दोनों अधीनस्थ अधिकारों ने मकान मालिकों की बेदखली याचिका खारिज कर दी थी।

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति के पास आजीविका का मौजूदा साधन होना और उसके पास अपना स्वतंत्र व्यावसायिक प्रतिष्ठान

याचिकाकर्ता और पत्नी ने किरायेदारों को बेदखल करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी

उपलब्ध होना दो अलग-अलग बातें हैं। मुकदमे के लंबित रहने के दौरान व्यक्ति से बेरोजगार रहने की अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। पारिवारिक कारोबार में काम करना स्वतंत्र व्यवसाय स्थापित करने में होने वाली देरी के कारण किसी मकान मालिक को अपनी आजीविका और व्यावसायिक आकांक्षाओं को अक्षिप्तकाल तक रोककर रखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

मामला जोधपुर के रेलवे स्टेशन रोड स्थित एक किराये की दुकान से जुड़ा है। याचिकाकर्ता भारत कुमार और उनकी पत्नी चंद्रा दुकान के मालिक एवं

मकान मालिक थे। उन्होंने राजस्थान क्रियाया निर्यंत्रण अधिनियम, 2001 की धारा 9 के तहत किरायेदारों को बेदखल करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। मकान मालिकों का कहना था कि उन्हें सिलाई मशीनों, इलेक्ट्रॉनिक सामान, उपहार सामग्री और संबंधित वस्तुओं का अपना कारोबार शुरू करने के लिए विवादित दुकान की वास्तविक एवं सद्भाविक आवश्यकता है। उनका यह भी कहना था कि किरायेदार अन्य परिसरों से अपना कारोबार संचालित कर रहे हैं। हालांकि, क्रियाया अधिकरण ने 27 मई 2011 को बेदखली याचिका खारिज कर दी। इसके बाद मकान मालिकों ने अपील दायर की, लेकिन अपीलीय क्रियाया अधिकरण ने भी 22 मई 2015 को अपील खारिज करते हुए पूर्व आदेश को बरकरार रखा। इसके बाद दोनों आदेशों को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने मामले के रिकॉर्ड का परीक्षण करते हुए पाया कि निचले अधिकरण ने इस तथ्य

को प्रमुख आधार बनाया था कि भारत कुमार याचिका दायर करने से पहले और मुकदमे के लंबित रहने के दौरान अपने पिता के साथ दूसरी दुकान में कारोबार कर रहे थे। इसी आधार पर उनकी स्वतंत्र दुकान की आवश्यकता को वास्तविक नहीं माना गया था। जस्टिस फरजंद अली ने इस दृष्टिकोण से असहमति जताते हुए कहा कि पिता के साथ काम करना इस बात का प्रमाण नहीं है कि संबंधित व्यक्ति के पास अपना स्वतंत्र और उपयुक्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी उपलब्ध है। कोई व्यक्ति अपने पिता या भाई के कारोबार में बताया कि कोई अनुभव प्राप्त कर सकता है और साथ ही अपना अलग व्यवसाय स्थापित करने की वास्तविक इच्छा भी रख सकता है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि संबंधित दुकान के संबंध में याचिकाकर्ता का पारिवारिक कारोबार से जुड़ाव और दुकान पर सह-स्वामित्व का दावा, अपने आप में, विवादित दुकान की स्वतंत्र व्यावसायिक आवश्यकता को समाप्त नहीं करता।

ग्रामीणों और भामाशाहों के सामूहिक प्रयासों से विद्यालय में लंबे समय से लंबित चारदीवारी निर्माण कार्य शुरू हो सका

में आगे उठाना चाहिए। सरकारी संस्थाओं के अनाश्रम में योगदान देने वाले भामाशाहों का सम्मान कर उन्हें प्रोत्साहित करना भी जरूरी है, ताकि दूसरे लोग भी जनहित के कार्यों में भागीदारी के लिए प्रेरित हों। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय स्टाफ की ओर से सहयोग करने वाले भामाशाहों का माल्यार्पण कर सम्मान किया गया। इस मौके पर उपप्रधानाचार्य राजेंद्र, शक्तिसिंह, सत्यपाल, अनिल, धर्मवीर, शीशराम, विक्रम, विश्वप्रकाश, सोहनलाल, धर्मपाल, आनंद कुमार, विजय योगी, प्रकाश बरवड़, सुनील कुमार और रघुवीर सिंह कटारिया सहित अन्य ग्रामीण एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे।

पूर्व विधायक अतरसिंह भड़ाना पर हमले के मामले में चार आरोपी गिरफ्तार

घटना में इस्तेमाल वाहन जब्त, पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है

जयपुर/भरतपुर। भरतपुर जिले के बयाना के पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना पर खनन पट्टे पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किए गए वाहनों को भी जब्त किया है। मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका और घटना में शामिल लोगों की पहचान के लिए जांच जारी है।

भरतपुर पुलिस अधीक्षक राजेश मोणा ने बताया कि पूर्व विधायक को पत्नी कमलेश भड़ाना की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे की जांच के बाद चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान भगमल, सोनीराम, शेर सिंह और कुंवर सिंह के रूप में हुई है। पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए

लगातार दबिश दे रही है। सीओ नीरज भारद्वाज के अनुसार, मामले से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है।

कमलेश भड़ाना की ओर से दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, रविवार शाम करीब 7 बजे भौड़ा गांव स्थित खनन पट्टे पर लगभग 80 लोग पहुंचे। आरोप है कि वहां पहुंचते ही उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना को घेरकर लाठी-डंडों और सरियों से हमला किया। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि पूर्व विधायक को बचाने के लिए आगे आए कर्मचारियों और सुरक्षा गार्डों के साथ भी मारपीट की गई। घटनास्थल पर कार्यालय और कमरों में आग लगाने तथा क्रशर मशीनों में तोड़फोड़ करने के आरोप भी लगाए गए हैं। कमलेश भड़ाना ने शिकायत में

बताया कि उन्होंने अपने पति को हमलावरों से बचाने का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान उनके साथ भी मारपीट की गई। रिपोर्ट में खनन पट्टे पर अफरा-तफरी मचने और कर्मचारियों तथा सुरक्षा गार्डों को निशाना बनाए जाने का भी उल्लेख किया गया है। इस मामले में शिकायत के आधार पर करीब 32 लोगों को नामजद किए जाने की जानकारी सामने आई है। पुलिस ने पहले पूछताछ करने की बात कही थी। अब चार आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस घटना में शामिल अन्य लोगों की पहचान और उनकी भूमिका की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि अनुसंधान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पिकअप की टक्कर से वृद्ध की मौत

जोधपुर, (कासं)। निकटवर्ती मथनिया स्थित भैंसर कोतवाली में सड़क हादसे में पिकअप चालक को लापरवाही से वृद्ध की मौत हो गई। मृतक के पुत्र ने इस बारे में मथनिया थाने में रिपोर्ट दी। शव को कार्रवाई कर परिजन के सुपुर्द किया गया है।

मथनिया पुलिस ने बताया कि

भैंसर कोतवाली निवासी हुकमराम जाट की तरफ से रिपोर्ट दी गई। इसमें बताया कि उसके पिता दुर्गाराम जाट अपनी बाइक लेकर गांव की सरहद से निकल रहे थे। तब एक पिकअप के चालक ने टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल होने पर अस्पताल में भर्ती कराया, बाद में उनकी मौत हो गई। पुलिस ने

‘चिकित्सा क्षेत्र सहित मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करेगा एआई’

जोधपुर में एसएन मेडिकल कॉलेज में ‘एआई इनोवेशन मेडिकल हैकाथॉन’ का शुभारंभ हुआ

जोधपुर, (कासं)। डॉ. एसएन मेडिकल कॉलेज में मंगलवार को एआई इनोवेशन मेडिकल हैकाथॉन का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर शेखावत ने अपने संबोधन में कहा कि अगले पांच वर्षों में तकनीक के क्षेत्र में पिछले एक दशक की तुलना में हजार गुना अधिक बदलाव हो सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) चिकित्सा क्षेत्र सहित मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करेगा। ऐसे में तकनीक के इस्तेमाल का उद्देश्य मानव जीवन को बेहतर बनाना और चिकित्सा सेवाओं को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना होना चाहिए।

‘एआई इनोवेशन मेडिकल हैकाथॉन’ के शुभारंभ के अवसर पर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री शेखावत ने कहा कि तकनीक जिस तेजी से विकसित हो रही है, उससे आने वाले समय में अधिक बदलाव देखने के हर वर्ग तक पहुंचना होना चाहिए।

तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी को सजा सुनाई

कोटा, (निसं)। एसीबी न्यायालय ने रिश्तत मांगने के करीब 16 साल पुराने मामले में सुनवाई करते हुए बुंदी जिले के सुवास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी डॉ. गौरव मुंदड़ा को दोषी मानते हुए 3 साल की सजा सुनाई है।

सहायक निदेशक अभियोजन जया गौतम ने बताया कि परिवर्ती जगदीश शर्मा ने मई 2010 में एसीबी कोटा में शिकायत दी थी। शिकायत में बताया कि उसके चाचा रामलक्ष्मण सुवास गांव में मेडिकल स्टोर संचालित करते हैं, जहां वह फार्मासिस्ट के रूप में काम करता था, शिकायत में कहा कि बुंदी जिले के सुवास चिकित्सा अधिकारी डॉ. गौरव मुंदड़ा ने मरीजों को रूपीथर और कॉन्ट्रिक्स इंजेक्शन लिखने के बदले कमीशन मांगा था। डॉक्टर ने प्रति रूपीथर इंजेक्शन 10 रुपए और कॉन्ट्रिक्स इंजेक्शन के लिए 14 रुपए कमीशन तय किया था।

झुंझुनूं में बड़ी वारदात की फिराक में पंडित का गिरोह, साथी भी गिरफ्तार

खेतड़ी, (निसं)। झुंझुनूं जिले में आगामी पंचायतीराज चुनावों के महनेजर पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। सिंघाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम (डीएसटी) ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार बदमाश कपिल पंडित के सहयोगी मनोज कुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, कपिल पंडित और उसके साथी झुंझुनूं में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। गिरफ्तार मनोज कुमार सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो और

तकनीक जिस तेजी से विकसित हो रही है, उससे आने वाले समय में चिकित्सा क्षेत्र में भी व्यापक बदलाव देखने को मिलेंगे : केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत

क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी मिले। कार्यक्रम में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. बीएस जोधा, अतिरिक्त प्राचार्य डॉ. फतेह सिंह भाटी सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि मानव सभ्यता के विकास में अग्न की खोज और खेती की शुरुआत ने बड़े बदलाव किए। हजारों वर्षों में हुए परिवर्तनों की तुलना में पिछली एक शताब्दी में अधिक बदलाव देखने को मिले वहीं, पिछले दस वर्षों में तकनीकी विकास की गति और तेज हुई है। आने वाले पांच वर्षों में यह बदलाव और व्यापक हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल फोन के आगमन के समय भी रोजगार पर इनके प्रभाव को लेकर चर्चाएं हुई थीं। इन तकनीकों ने मानव क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी तरह एआई भी काम करने के तरीकों और

मानव जीवन को प्रभावित करेगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में एआई के इस्तेमाल से डेटा का विश्लेषण करने और उसका उपयोग करने की क्षमता बढ़ सकती है। डॉक्टर बनने के लिए वर्षों तक शिक्षा, प्रशिक्षण और रैजिडेंसी के दौरान ज्ञान अर्जित करना पड़ता है। इसके विपरीत, एआई बहुत कम समय में बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण कर सकता है। इससे चिकित्सा क्षेत्र में नई संभावनाएं पैदा होंगी। उन्होंने कहा कि इस तकनीक का उपयोग किस तरह मरीजों के लिए बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में किया जा सकता है, इस पर विचार करना जरूरी है।

शेखावत ने एलन मस्क के एक साक्षात्कार का उल्लेख करते हुए कहा कि भविष्य में तकनीकी विकास मानव जीवन की बुनियादी जरूरतों और

खेतड़ी उपखंड के मोड़ी गांव में आबादी क्षेत्र तक पहुंचा ‘हाइना’

त्यौदा ग्राम पंचायत की ढाणी जोरावर सिंह में भी एक हाइना घर के अंदर घुस गया, मोड़ी गांव में वन विभाग ने ‘हाइना’ को रेस्क्यू कर बांसियाल अभयारण्य में छोड़ा

वन्यजीव को बांसियाल वन्यजीव अभयारण्य में छोड़ दिया गया। वहीं खेतड़ी उपखंड की त्यौदा ग्राम पंचायत की ढाणी जोरावर सिंह में भी हाइना की मौजूदगी से परिवार में हलचल मच गई। ढाणी निवासी महेश सिंह ने बताया कि रात के समय एक हाइना उनके घर में घुस गया। वन्यजीव की आवाज सुनकर परिजन जाग गए और शोर मचाकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। रात में बारिश का मौसम होने के कारण परिवार ने अपने अधिकांश वन्यजीव को घर के अंदर बांध रखा था। ऐसे में हाइना के घर में घुसने से बड़ी घटना की आशंका पैदा हो गई थी, लेकिन समय रहते परिजनों के जगने और सतर्कता बरतने से कोई नुकसान नहीं

हुआ। ग्रामीणों ने बांसियाल वन्यजीव अभयारण्य की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने खेतड़ी-बांसियाल क्षेत्र को रिजर्व कंजर्वेशन घोषित कर रखा है, जहां अनेक जंगली जानवर लाकर छोड़े गए हैं। इसके बावजूद वन्यजीवों को कंजर्वेशन क्षेत्र में रोकने के लिए पर्याप्त इंजांम नहीं होने से वे आबादी क्षेत्रों तक पहुंच रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार, कंजर्वेशन क्षेत्र के चारों ओर मात्र चार फीट ऊंची दीवार बनी हुई है। कम ऊंचाई के कारण जंगली जानवर आसानी से बाहर निकलकर गांवों में पहुंच जाते हैं। इससे ग्रामीणों के साथ ही उनके मवेशियों की सुरक्षा पर भी खतरा बना रहता है।

साथी मनोज कुमार निवासी बाडलवास के बारे में जानकारी मिली। सामने आया कि मनोज सोशल मीडिया पर हथियार चलाते हुए रील बनाकर वायरल करता है और इस माध्यम से आमजन में दहशत फैलाता है। इसके बाद पुलिस ने मनोज

साथी मनोज कुमार निवासी बाडलवास के बारे में जानकारी मिली। सामने आया कि मनोज सोशल मीडिया पर हथियार चलाते हुए रील बनाकर वायरल करता है और इस माध्यम से आमजन में दहशत फैलाता है। इसके बाद पुलिस ने मनोज को तलाश कर उसे गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी सुगन सिंह ने बताया कि गिरफ्तार मनोज कुमार, कपिल पंडित निवासी इकलेहरा, जिला डोंगरी को हथियारों सहित गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों से गहनता से पूछताछ करने पर उनके